न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 249/2025 (GCMS : 2025/382)

ईश्वर चन्द मित्तल पुत्र स्व. श्रीराम निवासी श्रीराम हॉस्पिटल नई मण्डी, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

अशोक सांगवा, **अतिरिक्त जिलाधीश, अनूपगढ़** जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से श्री सुधीर कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2025 अनवानी क्षेत्रीय वन अधकारी बनाम ईश्वर सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 75 आर.टी.एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब उनके पक्षकार प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2025 अनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम ईश्वर सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 75 आर.टी.एक्ट 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का राजीनामा हो गया है, इसलिए वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है और फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस अंकित किया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर, [illegible] को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर